

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कस्तुरबा नगर टंकी से प्रतिदिन कया जा रहा है पेयजल वतरण रतलाम 16 दिसम्बर । 14 दिसम्बर सोमवार से कस्तुरबा नगर टंकी से प्रतिदिन पेयजल वतरण की षुरूआत वधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप द्वारा कये जाने के बाद नगर निगम द्वारा टंकी के दोनो झोन के क्षेत्रों में 15 व 16 दिसम्बर को प्रातः 06:15 से 11:00 बजे के मध्य सफलतापूर्वक निय मत पेयजल वतरण कया गया।

खला डयों ने ठाना हैए शहर को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाना है स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के खलाडी संगठन से जुडे सैकडों खला डयों ने लया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प रतलाम 16 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दौड में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है। हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त कया जा रहा है। इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मत्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। बुधवार को शहर के सबसे बडे खेल मैदान नेहरु स्टे डयम और इसके आसपास कचरा मुक्त कए गए स्थलों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस मौके पर नेहरु स्टे डयम में मौजूद आशुतोष क्रकेट एवं स्पोर्टस क्लब व जिला हॉकी संघ के बैनर तले सैकडों खला डयों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने व स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का संकल्प लया है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लए नगर पालक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभयान की शहर में शुरूवात करते हुए सैकडों स्थानों को कचरे से मुक्त कया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मत्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवा सयों और राह गयों को संकल्प दिलाया जा रहा है क मेरा योगदानए मेरी शानए स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकडों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और सैकडों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधकारी एपी सिंह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूडा केवल डोर टू डोर कूडा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मंत्र समूह की टीम ने नेहरू स्टेडियम सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोवड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है. ऐसे में हमें मास्क का उपयोग दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी पाये जाने पर न्यू रोड से काले सरदार की गुमटी को हटाया  
नगर के व भन्न क्षेत्रों से अस्थाई अतिक्रमण हटाकर जब्त किया  
गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी  
गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर 19 व्यक्तियों पर जुर्माना  
नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना  
जुर्माने के रूप में 19ए000६. की राशि वसूली

रतलाम 16 दिसम्बर । गणेश देवरी क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों द्वारा सड़क पर किये गये अतिक्रमण को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में हटाया जाकर अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई साथ ही संबंधितों पर जुर्माना भी किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा प्रातः न्यू रोड क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान काले सरदार द्वारा अवैध रूप से चाय की गुमटी का संचालन किया जा रहा था साथ ही दुकान के चारों ओर डस्पोजल बिखरे होकर गंदगी होने पर संबंधित की गुमटी जब्त की जाकर संबंधित पर 5000 की राशि का जुर्माना किया गया।

इसके अलावा सवक सेन्टर के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया को अवगत कराया गया कि साईं मंदिर रोड क्षेत्र की बिल्डींगों में रहने वाले नागरिकों द्वारा पॉलीथिन में कचरा भरकर सड़क पर फेंका जाता है इस पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधितों के घर जाकर जुर्माना किया जाये। निगम आयुक्त श्री झारिया ने यह भी निर्देश दिये कि होटल व्यवसायीए दुकानदार या नागरिक खुले में कचरा डालते हैं तो उन पर निगरानी रखी जाकर बड़ी राशि का जुर्माना किया जाये।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा गणेश देवरीए चांदनी चौक आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान गणेश देवरी क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमण सामग्री जब्त कर जुर्माना किया गया।

नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही

है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालयों में कर्मचारियों की इ्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने तथा नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर रिकेश मेहता न्यू रोड पर 5000₹ कशोर कुमार-मोहनलाल त्रिपो लया गेट व पवन दो बत्ती चौपाटी पर 1000.1000₹ चन्द्र प्रकाश दो बत्ती चौपाटी बरखादेवी आईस्क्रीम कोठारी मार्केट सोहनलाल हरिओम अर्पत कटारिया त्रिपो लया गेट इकबाल भाई नौलाईपुरा ईशाक भाई धर्मन्द्र माणक चौक पर 500.500₹ रिजवान शेख न्यू आर.के. होटल अग्रवाल दाल-बाटी शवम् रेस्टोरेंट दिलबहार चौराहा वशाल चौमुखी पुल एबदरू गणेश देवरी जहूर भाई दो बत्ती मुकेश परमार चौमुखी पुल आर.एम. ज्वैलर्स नरेन्द्र मदनलाल शर्मा व नरपत सिंह पर 250.250 रूपये का जुर्माना कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाडे आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 16 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री फल-सब्जी के छिलके घांस व पेड़ की पत्तियां राख चाय पत्ती बचा हुआ खाना आदि के लये हरा इस्टबीन सूखा कचरा अर्थात पुस्टा अखबार लोहा कपड़ा शाल कांच पैकंग मटेरियल टुटे खलौने प्लास्टिक आदि के लये नीला इस्टबीन घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बे पेस्टीसाइड के डब्बे सीएफल ट्यूबलाईट थर्मामीटर बैटरी आदि के लये काला इस्टबीन तथा मेडकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन डायपर सुई संरिज मास्क ग्लब्स पीपीई कीट आदि के लये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में

अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

चौगानिया भेरू मंदिर के पास आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर बकाया रा श जमा कर अधभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें नागरिकों ने 42ए96ए745ए. संपत्तिकर व 12ए15ए205ए. जलकर जमा कराया संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 16 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोवड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी उद्योग-धन्धे में गरावट सर्वस सेक्टर आदि में षथलता परिलक्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबंधत करों उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुफ्त जमा कराने पर अधभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया रा ष जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 26 अक्टूबर से आयोजित कये गये है जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर जलकर दुकान गुमटी कराया लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबंधत भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष एक मुफ्त रा ष जमा कर दी जा रही अधभार में छूट का लाभ ले सकते है। निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 2ए38ए224ए. व जलकर 43ए460ए.ए मालवा नगर ष वर में संपत्तिकर 3ए66ए429ए. व जलकर 43ए830ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए69ए336ए. व जलकर 41ए850ए.ए वनोबा नगर पानी की टंकी के पास ष वर में संपत्तिकर 3ए94ए652ए. व जलकर 1ए06ए050ए.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास ष वर में संपत्तिकर 4ए54ए616ए. व जलकर 84ए000ए.ए तिरूपति नगर में ष वर में संपत्तिकर 55ए700ए. व जलकर 14ए800ए.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 65ए133ए. व जलकर 18ए430ए.ए इन्द्रलोक नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए04ए310ए. व जलकर 37ए520ए.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए63ए070ए. व जलकर 41ए200ए.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 54ए244ए. व जलकर 31ए700ए.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए87ए800ए. व

जलकर 13ए500ए.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 89ए439ए. व जलकर 29ए500ए.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए23ए843ए. व जलकर 80ए000ए.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 78ए232ए. व जलकर 24ए800ए.ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 95ए424ए. व जलकर 46ए350ए.ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 2ए61ए000ए. व जलकर 45ए500ए.ए लक्कड़पीठा ष वर में संपत्तिकर 2ए58ए000ए. व जलकर 90ए310ए.ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए39ए000ए. व जलकर 1ए58ए845ए.ए आनन्द कालोनी ष वर में संपत्तिकर 94ए633ए. व जलकर 24ए500ए.ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए31ए093ए. व जलकर 68ए580ए.ए महावीर नगर ष वर में जलकर 45ए550ए.ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 5ए91ए492ए. व जलकर 1ए31ए930ए. की एक मुफ्त बकाया रा ष जमा कराकर दी जा रही अधभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांे ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 42ए96ए745ए. संपत्तिकर व 12ए15ए205ए. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरों के तहत वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 18 दिसम्बर को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेपन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क षासन द्वारा निगम से संबं धत करों की एक मुफ्त रा ष जमा कराने पर दी जा रही अधभार में छूट का लाभ नागरिक अधक से अधक ले सकें इस हेतु वार्ड वार ष वर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे ष वर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुफ्त रा ष जमा कर दी जा रही अधभार में छूट का लाभ सकते हैं।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अधभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधभार की रा ष रूपये 50ए000ए. ;रूपये पचास हजार) से अधक तथा रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधभार की रा ष रूपये 1ए00ए000ए. ;रूपये एक लाख) से अधक बकाया होने पर मात्र अधभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधभार की रा ष रूपये 10ए000ए. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधभार की रा ष रूपये 10ए000ए. ;दस

हजार) से अधिक तथा रुपये 500000. (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिकभार में 75 प्रतिशत की छूट जलकर तथा अधिकभार की राशि रुपये 500000. (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिकभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अधिकभार सहित कुल देय राशि रुपये 200000. (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिकभार में 100 प्रतिशत की छूट अधिकभार सहित कुल देय राशि रुपये 200000. (बीस हजार) से 500000. (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिकभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिकभार सहित कुल देय राशि रुपये 500000. (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिकभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिकभार पर लागू होगी तथा ब्याज स्टॉप ड्यूटी मूल कर मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया राशि वाईवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

55 दिनों में 85 वॉल्व व 402 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 16 दिसम्बर । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 16 दिसम्बर तक 85 वॉल्व व 402 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 16 दिसम्बर बुधवार को कस्तुरबा नगर गली नम्बर 5ए मालीकुआंए गौशाला टंकी के पास कलीमी कालोनीए संत आसाराम नगर व शांति नगर टंकी के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त करवाये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नवीन हाईड्रो लक केटल कैचर से पकड़े 6 मवेशी

स्वच्छंद वचरण करने वाले 413 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 16 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 16 दिसम्बर तक 413 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक कैटर क्रय किया गया है नवीन हाईड्रोलिक कैटर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 16 दिसम्बर तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 413 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 16 दिसम्बर बुधवार को नगर के व भन्न क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रुपये 500. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह झोन प्रभारी श्री करण चौहान श्री पर्वत हाडे व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं. व. हेमन्त/16ण12ण2020धन.पा.निगमए रतलाम.